

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2019-फाल्गुन 3, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मैं, अनिल सागर पिता श्री परशराम व्येकंटराव, निवासी अम्बेडकर नगर, भोपाल मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैंने अपना उपनाम परिवर्तित कर सिरसाट रख लिया है तथा मैं भविष्य में अपने नवीन उपनाम अनिल सिरसाट का उपयोग अपने समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय अभिलेखों के लिये करूंगा तथा मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा. अतः अब से मुझे मेरे, मेरी पत्नि एवं बच्चों के समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अनिल सिरसाट के नाम से लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(अनिल सागर)

पिता-श्री परशराम व्येकंटराव.

(930-बी.)

नया नाम :

(अनिल सिरसाट)

पिता-श्री परशराम व्येकंटराव,

पता-3/35, अम्बेडकर नगर, भोपाल.

नाम परिवर्तन

मैं, रामचन्द्र द्विवेदी पिता सुरेन्द्र प्र. द्विवेदी शारदा पुरम समान, रीवा मध्यप्रदेश वार्ड 15/ मेरे पुत्र का नाम कृष्ण कुमार द्विवेदी नाम को बदलकर मृत्युंजय द्विवेदी किया जाय जो कि अन्य दस्तावेजों में अंकित है. अतः अब से कृष्ण कुमार द्विवेदी की जगह मृत्युंजय द्विवेदी लिखा व पढ़ा जाये जो कि पूर्णतः सत्य है.

रामचन्द्र द्विवेदी,

पिता सुरेन्द्र प्र. द्विवेदी शारदा, पुरम समान,

रीवा (मध्यप्रदेश) वार्ड 15.

(931-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, नीतू रायकवार, निवासी म. नं. 11, सेंचूरी इंकलेव, होशंगाबाद रोड, भोपाल अपना नाम अद्रिती सिंह (AADRITI SINGH) कर लिया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(नीतू रायकवार)

(933-बी.)

नया नाम :

(अद्रिती सिंह)

(AADRITI SINGH)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पति स्व. फ्रांसिस जेवियर केरकेट्टा के सर्विस रिकार्ड/पीपीओ में विवाह के पूर्व मेरा नाम अंजेली खलको लिखा हुआ है जबकि विवाह के पश्चात् से मुझे प्रार्थी को अंजेली केरकेट्टा के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है और पूर्व में मेरा नाम अंजेली खलको था और विवाह के पश्चात् मेरा परिवर्तित नाम अंजेली केरकेट्टा हो गया था. तब से मुझे इसी नाम अंजेली केरकेट्टा पति स्व. फ्रांसिस जेवियर केरकेट्टा के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है.

पुराना नाम :
(अंजेली खलको)
(932-बी.)

नया नाम :
(अंजेली केरकेट्टा)
पति-स्व. फ्रांसिस जेवियर केरकेट्टा,
निवास-64, सुमन कॉलोनी महूगाँव महू,
तहसील महू, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश.

नाम परिवर्तन

मैं, आशीष कुमार पवार (Ashish Kumar Pawar) पिता राजेश्वर सिंह पवार (Rajeshwar Singh Pawar), निवासी-516, डी-2, डी-सेक्टर, पिपलानी भोपाल मध्यप्रदेश का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम आशीष कुमार (Ashish Kumar) पिता राजेश्वर सिंह (Rajeshwar Singh) दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम आशीष कुमार पवार (Ashish Kumar Pawar) पिता का नाम राजेश्वर सिंह पवार (Rajeshwar Singh Pawar) दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम आशीष कुमार (Ashish Kumar) पिता राजेश्वर सिंह (Rajeshwar Singh) दर्ज है उसके स्थान पर आशीष कुमार पवार (Ashish Kumar Pawar) पिता राजेश्वर सिंह पवार (Rajeshwar Singh Pawar) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :
(आशीष कुमार)
(ASHISH KUMAR)
(934-बी.)

नया नाम :
(आशीष कुमार पवार)
(ASHISH KUMAR PAWAR)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रहलाद पवार (Prahlad Pawar) पिता परसराम पवार (Parasram Pawar), निवासी-29/39, एन-2, सी-सेक्टर, बरखेड़ा, भेल, भोपाल (म.प्र.) का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम प्रहलाद (Prahlad) पिता परसराम (Parasram) दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम प्रहलाद पवार (Prahlad Pawar) पिता परसराम पवार (Parasram Pawar) दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम प्रहलाद (Prahlad) पिता परसराम (Parasram) दर्ज है उसके स्थान पर प्रहलाद पवार (Prahlad Pawar) पिता परसराम पवार (Parasram Pawar) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :
(प्रहलाद)
(PRAHLAD)
(935-बी.)

नया नाम :
(प्रहलाद पवार)
(PRAHLAD PAWAR)

नाम परिवर्तन

मैं, लेखराम उइके (Lekhram Uikey) पिता पोहोप सिंह उइके (Pohop Singh Uikey), निवासी म. नं. 184, एन-2, ए.आर., ए-सेक्टर, बरखेड़ा, भेल, भोपाल (मध्यप्रदेश) का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम लेखराम (Lekhram) पिता पोहोप (Pohop) दर्ज है, एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम लेखराम उइके (Lekhram Uikey) पिता का नाम पोहोप सिंह उइके (Pohop Singh Uikey) दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम लेखराम (Lekhram) पिता पोहोप (Pohop) दर्ज है उसके स्थान पर लेखराम उइके (Lekhram Uikey) पिता पोहोप सिंह उइके (Pohop Singh Uikey) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :
(लेखराम)
(LEKHRAM)
(936-बी.)

नया नाम :
(लेखराम उइके)
(LEKHRAM UIKEY)

नाम परिवर्तन

मैं, हितेश कुमार बारस्कर (Hitesh Kumar Baraskar) पिता यशवंतराव बारस्कर (Yashwantrao Baraskar), निवासी म. नं. 26, श्रीराम परिसर, फेस-3, अवधपुरी, भोपाल मध्यप्रदेश का हूँ मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम हितेश कुमार (Hitesh Kumar) पिता यशवंतराव (Yashwantrao) दर्ज है, एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम हितेश कुमार बारस्कर (Hitesh Kumar Baraskar) पिता का नाम यशवंतराव बारस्कर (Yashwantrao Baraskar) दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम हितेश कुमार (Hitesh Kumar) पिता यशवंतराव (Yashwantrao) दर्ज है उसके स्थान पर हितेश कुमार बारस्कर (Hitesh Kumar Baraskar) पिता का नाम यशवंतराव बारस्कर (Yashwantrao Baraskar) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(हितेश कुमार)

(HITESH KUMAR)

(937-बी.)

नया नाम :

(हितेश कुमार बारस्कर)

(HITESH KUMAR BARASKAR)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, भूपेश कुमार पोवार (Bhupesh Kumar Powar) पिता तारेन्द्र पोवार (Tarendra Powar), निवासी क्वा. नं. 95, एन-3, ए. आर., सी-सेक्टर, पिपलानी, भेल, भोपाल मध्यप्रदेश का हूँ मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम भूपेश (Bhupesh) पिता तारेन्द्र (Tarendra) दर्ज है, एवं कुछ दस्तावेजों में भूपेश कुमार (Bhupesh Kumar) पिता तारेन्द्र (Tarendra) एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम भूपेश कुमार पोवार (Bhupesh Kumar Powar) पिता तारेन्द्र पोवार (Tarendra Powar) दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम भूपेश (Bhupesh) पिता तारेन्द्र (Tarendra) एवं भूपेश कुमार (Bhupesh Kumar) पिता तारेन्द्र (Tarendra) दर्ज है उसके स्थान पर भूपेश कुमार पोवार (Bhupesh Kumar Powar) पिता तारेन्द्र पोवार (Tarendra Powar) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(भूपेश)

(BHUPESH)

(938-बी.)

नया नाम :

(भूपेश कुमार पोवार)

(BHUPESH KUMAR POWAR)

CHANGE OF NAME

On Account of marriage, I Mulchandani Satya Nandlal spouse of Pahlajkumar Anandram Thawani, Resident of Q. No. 7, Type-III, Staff Quarters, Teachers Colony, BSF Sr. Sec. School, Tekanpur, Gwalior (M.P.) have changed my name from Mulchandani Satya Nandlal to Janhavi Pahlajkumar Thawani.

Old Name:

(MULCHANDANI SATYA NANDLAL)

(939-B.)

New Name :

(JANHAVI PAHLAJKUMAR THAWANI)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री प्रिंसी रामजीयानी (Princy Ramjiyani) के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम (Princi) व पिता के उपनाम में (Laxman Nanji Bhai Patel) लिखा हुआ है, जो कि सही नहीं है. मेरी पुत्री का सही नाम प्रिंसी रामजीयानी (Princy Ramjiyani) है व पिता का नाम लक्ष्मण नानजी रामजीयानी (Laxman Nanji Ramjiyani). भविष्य में उसे उसके सही नाम प्रिंसी रामजीयानी (Princy Ramjiyani) व पिता का नाम लक्ष्मण नानजी रामजीयानी (Laxman Nanji Ramjiyani) के नाम से जाना, पहचाना व लिखा पढ़ा जावे.

LAXMAN NANJI RAMJIYANI,

निवास-1003, ए-2, मेपलवुड,

पिपल्या कुमार निपानिया, इन्दौर (म.प्र.).

(922-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण हेतु सूचित हो कि मैं, सुरेश प्रजापति आत्मज श्री पन्ना लाल प्रजापति, आयु वयस्क, निवासी म. नं. 237/डी-2, डी-सेक्टर, भेल पिपलानी, हुजूर, भोपाल मध्यप्रदेश घोषणा करता हूँ कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र कक्षा 10वीं की अंकसूची में त्रुटिवश मेरा नाम सुरेश अंकित हो गया है जो कि अर्द्ध नाम है. अतः मेरा वास्तविक नाम सुरेश प्रजापति आत्मज श्री पन्ना लाल प्रजापति जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम के साथ संव्यवहार किया जावे.

पुराना नाम :

(सुरेश)

(925-बी.)

नया नाम :

(सुरेश प्रजापति)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा सही नाम अंतिम मेहरा है, किन्तु मेरे दोनों पुत्रों हर्षित मेहरा व हार्दिक मेहरा के स्कूल में भर्ती करते समय मेरा घर का बोलता नाम आयूषी मेहरा लिखा गया था. जबकि मेरा सही नाम अंतिम मेहरा है जो कि मेरे और मेरे दोनों बेटों के समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम गलत लिखा गया है, अतः मेरे दोनों बेटों के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भी मेरा सही नाम अंतिम मेहरा ही लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(आयूषी मेहरा)

पति संजीव मेहरा.

(950-बी.)

नया नाम :

(अंतिम मेहरा)

पति संजीव मेहरा,

फ्लेट नं. 102/1, सौभाग्य भवन,

54, उदापुरा इन्दौर मध्यप्रदेश.

CHANGE OF NAME

I, Dewendra Nagre declare that I, am changing my name from Dewendra S/o Manohar to Dewendra Nagre S/o Manohar Nagre. Henceforth my name shall be Devendra Nagre for all Government and Non- Government purpose.

Old Name:

(DEWENDRA)

S/o Manohar.

(951-B.)

New Name :

(DEWENDRA NAGRE)

S/o Manohar Nagre,

Vill.-Chhabdi, Post-Rajegaon,

Distt.-Chhindwara (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम निर्मला पाटनी पति अजीत पाटनी है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों (शेयर सर्टिफिकेट) में मेरा घरेलू व बोलता हुआ नाम सुन्दर जैन लिखा गया है. अतः मेरे जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम सुन्दर जैन लिखा हुआ है उन सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम निर्मला पाटनी ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सुन्दर जैन)

पति अजीत पाटनी.

(952-बी.)

नया नाम :

(निर्मला पाटनी)

पति अजीत पाटनी,

52-बी, तिरुपति नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रेणुका लूनावत पत्नी श्री कीर्तिराज लूनावत, आयु-47, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड गाडरवारा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर की निवासी हूँ. मेरा नाम रेणुका लूनावत है और सभी मुख्य दस्तावेजों में मेरा नाम रेणुका लूनावत ही लिखा है, किन्तु कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम रेणु लूनावत भी लिखा गया है, किन्तु मेरा वास्तविक नाम रेणुका है इसलिये मैं इस जाहिर सूचना के साथ सर्व-साधारण को सूचित कर रही हूँ कि रेणु को भविष्य में रेणुका के नाम से भी जाना जाएगा.

पुराना नाम :

(रेणु लूनावत)

(956-बी.)

नया नाम :

(रेणुका लूनावत)

पत्नी-श्री कीर्तिराज लूनावत,

रानी लक्ष्मीबाई वार्ड गाडरवारा,

तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. साईं डेवलपर्स, शॉप नं. 7, नगर निगम कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश भागीदारी फर्म के भागीदार श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नी, स्व. श्री महेन्द्र कुमार, श्रीमति उषा देवी पत्नी श्री सतीश चंद्र एवं श्रीमति सुधा देवी अग्रवाल पत्नी श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, श्री नरेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल, श्रीमति दीप्ती गर्ग पत्नी श्री वरूण गर्ग, श्रीमति मीरा गोयल पत्नी श्री हरी बाबू गोयल एवं श्रीमति नम्रता अग्रवाल पत्नी कृष्ण अग्रवाल दिनांक 21-07-2018 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं उसी दिनांक 21-07-2018 से श्रीमति आरती गुप्ता श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं श्रीमति वीनू गुप्ता पत्नी श्री योगेन्द्र गुप्ता फर्म के भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिये गये हैं. तदनुसार सूचित हों.

For—Sai Developers,
द्वारा-संदीप गोयल,
(भागीदार)

शॉप नं. 7, नगर निगम कॉम्प्लेक्स,
हॉस्पिटल रोड, ग्वालियर.

(940-बी.)

NOTICE**(U/s 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

It is hereby noticed that M/s SHREE BALAJI REALTORS registered Office at, Plot No. 190 & 191, Kamla Hitech City, Kulamadi Road, Hoshangabad (M.P) is a partnership firm which was Incorporated on 19th December, 2013 and reconstituted on 08th day of March 2018 due to death of Shri Manoj Nemrajji on dated 30-12-2017 and admission of Mr.Nemraj V Daware S/o Late Mr. Vithobaji & Mrs. Shweeta Manoj Daware W/o Late Mr. Manoj Daware and have reconstituted the partnership deed on 1st January, 2019 by virtue of the deed of retirement executed amongst partners on 25th January, 2019 for giving effect to the retirement of the partner Mr. Nemraj V Daware S/o Late Mr. Vithobaji.

That The firm was registered with the Registrar of firm under Registration No. (01/01/01/00467/14) Year 2013-14.

For—Shri Balaji Realtors,
SHWEETA MANOJ DAWARE,
(Partner).

Plot No. 190 & 191, Kamla Hitech City,
Kulamadi Road, Hoshangabad (M.P.).

(941-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. साईं रियलटी, लक्ष्मी वॉच कम्पनी के सामने, टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश भागीदारी फर्म के भागीदार श्री कृष्णा अग्रवाल, पुत्र श्री अशोक कुमार अग्रवाल, श्री संदीप गोयल पुत्र श्री हरिबाबू गोयल एवं श्रीमति अर्चना गोयल पत्नी श्री संदीप गोयल, दिनांक 21-07-2018 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं एवं उसी दिनांक 21-07-2018 से श्री नरेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल श्रीमति दीप्ती गर्ग पत्नी श्री वरूण गर्ग एवं श्री पूरन चंद्र अग्रवाल पुत्र स्व. श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल फर्म के भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिये गये हैं, तदनुसार सूचित हों.

For—Sai Realty,
इन्द्रा देवी,
(भागीदार)

लक्ष्मी वॉच कम्पनी के सामने,
टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

(942-बी.)

आम सूचना**(भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधान के अन्तर्गत)**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. ए.पी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी गणेशपुरा, मुरैना (मध्यप्रदेश) के पूर्व भागीदार श्री लाखन सिंह यादव पुत्र श्री भवर् सिंह यादव, श्री बाबू सिंह यादव पुत्र श्री भवर् सिंह यादव एवं श्री धर्मपाल सिंह यादव पुत्र श्री बाबू सिंह यादव

दिनांक 11-02-2019 से स्वेच्छापूर्वक पृथक् हो गये हैं। अब वर्तमान में फर्म से श्री अवधेश प्रताप सिंह यादव पुत्र श्री दर्शन सिंह यादव, श्रीमती पुष्पा यादव पत्नी श्री दर्शन सिंह यादव, श्रीमती ममता यादव पत्नी श्री अवधेश प्रताप सिंह यादव एवं श्री अजय राजपूत पुत्र श्री कमल सिंह राजपूत भागीदार हैं।

For—M/s. A.P. Construction Co.,

अवधेश प्रताप सिंह यादव,

(भागीदार)

गणेशपुरा, मुसैना.

(943-बी.)

NOTICE

(U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given that the firms M/s. Porwal Brothers of Gwalior vide Registration No.02/42/01/0077/18, dated of registration 28-06-2018 undergone the following changes: -

1. That Shri Mohanlal Porwal S/o Shri Modi Ram Porwal has retired the partnership Firm w.e.f. 15th November, 2018.

For—M/s. Porwal Brothers,

UMESH DUDEA,

(Partner).

National College Building,

Naya Sarafa (Danaoli), Lashkar, Gwalior.

(944-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नूर एसोसियेट्स सिक्वोरिटी बोल छड़ी मस्जिद के पास, बिछिया, रीवा, जिला रीवा मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक-0067, 2015-16 से दिनांक 16-04-2018 से पार्टनर श्री मोहम्मद असलम खान को पृथक् किया जाता है। शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे।

M/s Noor Associates Security,

मोहम्मद इस्लाम खान

(भागीदार)

बोल छड़ी मस्जिद के पास, बिछिया,

रीवा, जिला रीवा (म.प्र.).

(945-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ओएसिस इंजीनियरिंग कान्सट्रक्शन सर्विसेज 101/1, द्वारिका नगर, रीवा मध्यप्रदेश से दिनांक 06-02-2019 से पार्टनर श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी एवं श्री बी.पी. मिश्रा को पृथक् किया जाता है। उक्त दिनांक से ही फर्म में श्री आशीष गोलहानी को शामिल किया जाता है, शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे।

मेसर्स-ओएसिस इंजीनियरिंग कान्सट्रक्शन सर्विसेज,

सुखेन्द्र द्विवेदी,

(भागीदार)

101/1, द्वारिका नगर, रीवा (म.प्र.).

(946-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ईजी. इंफोटेक फर्म जिसका U.G. 55, बंसी ट्रेड सेंटर, 581/5, एम.जी. रोड, इंदौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0368/15 दिनांक 19-02-2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसके भागीदार 1. श्री श्याम खुराना पिता

स्व. श्री देवमल खुराना, 2. श्री रूप सिंह पिता नंदराम, 3. श्री विश्वनाथ पटेल पिता श्री रूपसिंह, 4. श्री राजेंद्र नशा पिता श्री हस्सानंद नशा, 5. श्री जीतेन्द्र सिंह चौहान पिता श्री राम रख्खु सिंह चौहान एवं श्री रवि खुराना पिता श्री श्याम खुराना थे तत्पश्चात दिनांक 29-08-2018 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री मनीष अग्रवाल पिता स्व. श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, 2. श्री कवि कुमार खुराना पिता श्री श्याम खुराना, 3. श्री सुभाष सुराणा पिता श्री हेमराज सुराणा एवं श्री राजेश खुबानी पिता श्री केतुमाल खुबानी भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए हैं तथा 1. श्री श्याम खुराना पिता स्व. श्री देवमल खुराना, 2. श्री रूप सिंह पिता नंदराम, 3. श्री विश्वनाथ पटेल पिता श्री रूपसिंह, 4. श्री राजेंद्र नशा पिता श्री हस्सानंद नशा भागीदारी फर्म मेसर्स ईजी इंफोटेक से पृथक् हो गए हैं। इन भागीदारों ने फर्म मेसर्स ईजी इंफोटेक से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है।

For—Easy Infotech,

तर्फे-1. जीतेन्द्र सिंह चौहान, 2. रवि खुराना,
3. मनीष अग्रवाल, 4. कवि कुमार खुराना,
5. सुभाष सुराणा, 6. राजेश खुबानी,
(भागीदार).

(947-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एथिका बिल्डकान फर्म जिसका पता U.G. 55, बंसी ट्रेड सेंटर, 581/5, एम.जी. रोड, इंदौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0359/15 दिनांक 16-02-2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसके भागीदार 1. श्री मनीष अग्रवाल पिता स्व. श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, 2. श्री मति तृप्ति अग्रवाल पति श्री मनीष अग्रवाल 3. मे. मनीष अग्रवाल एच. यू. एफ., 4. श्री रवि खुराना पिता श्री श्याम खुराना, 5. श्री भूपेंद्र बाफना पिता श्री महेंद्र बाफना, 6. श्रीमति राखी बाफना पति श्री भूपेंद्र बाफना, 7. मे. भूपेंद्र बाफना एच. यू. एफ., 8. श्रीमती मंजू नाहटा पति श्री कमल नाहटा 9. श्री सुभाष सुराणा पिता श्री हेमराज सुराणा थे तत्पश्चात दिनांक 29-08-2018 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री विश्वनाथ पटेल पिता श्री रूपसिंह भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए हैं तथा 1. श्री मनीष अग्रवाल पिता स्व. श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, 2. श्रीमति तृप्ति अग्रवाल पति श्री मनीष अग्रवाल, 3. मे. मनीष अग्रवाल एच. यू. एफ., 4. श्री रवि खुराना पिता श्री श्याम खुराना भागीदारी फर्म मेसर्स एथिका बिल्डकान से पृथक् हो गए हैं। इन भागीदारों ने फर्म मेसर्स एथिका बिल्डकान से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है।

For—Ethica Buildcon,

तर्फे-1. भूपेंद्र बाफना, 2. राखी बाफना,
3. मे. भूपेंद्र बाफना एच.यू.एफ., 4. मंजू नाहटा,
5. सुभाष सुराणा, 6. विश्वनाथ पटेल,
(भागीदार).

(948-बी.)

जाहिर सूचना

मेसर्स एस. आर. बिल्डर्स, पता- सेठ निहाल चंद कॉम्प्लैक्स, गुरुद्वारा रोड, गोरखपुर, जबलपुर मध्यप्रदेश दिनांक 14-08-2009 में भागीदारी फर्म के रूप में निर्माण हुआ, जिसमें वर्तमान में श्री अनुराग अरोरा और श्रीमति अनुराधा जैन भागीदार हैं। यह फर्म रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थायें जबलपुर में दिनांक 04-02-2010 में रजिस्टर्ड हुई है। जिसका क्रमांक 4/14/01/00182/10 है।

दिनांक 13-10-2018 में श्री सत्येंद्र कुमार यादव एवं श्री संजय भाटिया इस फर्म में नए भागीदारी के रूप में सम्मिलित हुए हैं तथा भागीदारी फर्म का नया कार्यालय दिनांक 13-10-2018 से C/o, आयुषी कंस्ट्रक्शन, 2720, नागपुर रोड, त्रिपुरी चौक, गढ़ा, जबलपुर मध्यप्रदेश हो गया है।

मेसर्स एस. आर. बिल्डर्स,

अनुराग अरोरा,
(भागीदार)

C/o, आयुषी कंस्ट्रक्शन, 2720, नागपुर रोड,
त्रिपुरी चौक, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.).

(949-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स लेम्पस इंडिया जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1080 सन-1983-84 दिनांक 23-11-1983 से पंजीयत है। फर्म के पंजीयन के समय तीन भागीदार (1) श्री आर. आर. तवानंदी, (2) श्री एस. के. स्वीचिस प्रा.लि. द्वारा (श्री एल. एन. केडिया),

(3) श्रीमती प्रेमा कुम्ताकर थे. फर्म से दिनांक 09-04-1986 को श्री एस. के. स्वीचिस प्रा.लि. द्वारा (श्री. एल. एन. केंडिया) फर्म से पृथक् हो गये. दिनांक 01-04-1989 को (1) श्री आर. आर. तवानंदी एवं (2) श्रीमती प्रेमा कुम्ताकर पृथक् हो गये एवं उक्त दिनांक 01-04-1989 को (1) श्री चन्द्रकान्त शाह (2) श्री नितिन शाहा (3) श्री सुरेश एल. गंगर एवं (4) श्री दिलीप कुमार शाह फर्म में सम्मिलित हुंए. फर्म से दिनांक 20-12-2018 श्री दिलीप कुमार शाहा का स्वर्गवास होने के कारण पृथक् हो गये तथा उक्त दिनांक को ही उनकी पत्नी श्रीमती दिव्या डी शाहा फर्म सम्मिलित हो हुई है. फर्म में वर्तमान में (1) श्री चन्द्रकान्त शाहा, (2) श्री नितिन शाहा, (3) श्री सुरेश एल गंगर एवं, (4) श्रीमती दिव्या डी शाहा भागीदार फर्म संचालित कर रहें है फर्म का पता-1983 में 7 शिलाकंज कालोनी, रामपुर, जबलपुर मध्यप्रदेश था दिनांक 01-04-1989 को परिवर्तन होकर 1-ए भारत हाउसिंग सोसायटी नागपुर रोड जबलपुर मध्यप्रदेश परिवर्तन किया गया था वर्तमान में फर्म का पता शिम्पलेक्स मटालिका शिम्पलेक्स स्टेट नागपुर रोड जबलपुर मध्यप्रदेश अतः किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर फर्म के कार्यालय में आपत्ति दर्ज कर सकते है.

मेसर्स लेम्पस इंडिया,

नितिन शाह,

(भागीदार)

शिम्पलेक्स मेटालिका, शिम्पलेक्स स्टेट,
नागपुर रोड, जबलपुर.

(954-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स तेजस स्टोन क्रेशर पता- म.नं. 63, सनसिटी कॉलोनी, छत्तरपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/01/0028/18, दिनांक 06-07-2018 से भागीदारी फर्म है, जिसमें देवेन्द्र शिवहरे नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

अब उक्त फर्म में 1. प्रदीप सिंह, 2. अकील अहमद, 3. देवेन्द्र शिवहरे हम तीन भागीदार हैं. सो विदित हो.

मेसर्स तेजस स्टोन क्रेशर

प्रदीप सिंह,

(भागीदार).

(953-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री साईं फेब्रिक्स पता-13 सी-13 ई. औद्योगिक क्षेत्र मक्सी रोड, उज्जैन मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रं. 07/33/01/00008/10 दिनांक 26-04-2010 है. जिसमें आज दिनांक 01-04-2014 तक निम्नलिखित भागीदारगण फर्म का संचालन कर रहे थे. (1) श्री प्रताप राय रोहरा आत्मज श्री हुंडाराजमल रोहरा, (2) श्री दिलीप रोहरा आत्मज श्री प्रताप राय रोहरा, (3) श्री ऋषभ दुबे आत्मज श्री प्रकाश दुबे, (4) श्री सर्वज्ञ दुबे आत्मज श्री प्रकाश दुबे. यहकि भागीदारी क्रं. 4 सर्वज्ञ दुबे नाबालिक होकर भागीदारी फर्म के लाभ में हिस्सेदार थे, उनके अभिभावक श्री एन. के. दुबे की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है. अतः इस भागीदारी फर्म में निम्नलिखित दो परिवर्तन किए जा रहे हैं:- (1) दिनांक 01-04-2014 से फर्म का पंजीकृत पता 12 बी-12 डी, औद्योगिक क्षेत्र, मक्सी रोड, उज्जैन मध्यप्रदेश रहेगा. (2) नाबालिग भागीदार श्री सर्वज्ञ दुबे के बालिग होने के उपरांत उन्हें पूर्ण भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित किया गया है. अब वे लाभ-हानि दोनों ही हिस्सेदार होंगे व उनके अभिभावक की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी. भागीदारी फर्म मैसर्स श्री साईं फेब्रिक्स में उपरोक्त परिवर्तन सर्वजन एवं आमजन को सूचित हो.

मैसर्स श्री साईं फेब्रिक्स,

दिलीप रोहरा,

(भागीदार)

उज्जैन (म.प्र.)

(955-बी.)

PUBLIC NOTICE

Know all men that the Firm M/s JABALPUR TOLLS, Jabalpur [Reg. No.04/14/01/0006/09, Year 2009-10, Dt. 23-05-2009] last amended on 01-04-2015. The partners Shri Umesh Prasad Pandey, Shri Amardip Kumar, Shri Anand Singh and Shri Ganga Prasad Pandey has been retired from the firm w.e.f.

18-12-2018 and the firm has now six Partners as Shri Amit Kumar, Shri Shyam Sunder Khamparia, Shri Mohammed Shahabuddin, Shri Mohammed Afraj, Mohammed Sharif and Shri Ramji Dwivedi.

That the Head Office of the Firm has been shifted from Durga Colony, Sanjeevani Nagar, Garha, Jabalpur to 232/4, Durga Colony, Sanjeevani Nagar, Garha, Jabalpur and Branch Office has been closed w.e.f. 18.12.2018.

(958-B.)

For—M/s Jabalpur Tolls,
AMIT KUMAR,
(Partner).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सत्यम रोड लाईस कं., वार्ड नं. 9, छोटी पुल रोड, चाकघाट तहसील त्योंथर जिला-रीवा मध्यप्रदेश में एक नये पार्टनर संतोष कुमार केशरवानी दिनांक 13-10-2018 को जोड़ा जा रहा है.

" Satyam Roadlines Co."
RAVENDRA SINGH CHANDEL,
(Partner).

Ward No.9, Chotipul Road, Near Chotipul,
Chakghat, Tuonthar, Rewa.

(959-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाहा

प्र. क्र. 02/बी-113(1)/2018-19.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रुल्स, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाहा.

चूंकि प्रार्थी श्री गजानंद पिता रूपचंदजी सवनेर, निवासी सनावद, तहसील सनावद, जिला खरगौन की ओर से "सकल गुरुव समाज ट्रस्ट" सनावद तहसील सनावद, जिला-खरगौन द्वारा ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहे. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	नगद	-	-	4,000.00
2.	अचल सम्पत्ति	नगर सनावद वार्ड नं-07 में धर्मशाला निर्माण हेतु कुल 6000 वर्गफीट का भू-खण्ड.	निरंक	निरंक

(126)

सत्येन्द्र सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन

प्र.क्र. 12/बी-113/2018-19.

उज्जैन, दिनांक 02 फरवरी, 2019

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)]

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक श्री प्रमोद कुमार पिता स्व. श्री नर्मदा प्रसाद शर्मा, निवासी-60-61, शिवाजी पार्क कॉलोनी, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05-03-2019 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 05 मार्च, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

लोक न्यास का नाम	:	एस. के. एन. फाउन्डेशन ट्रस्ट, उज्जैन.
कार्यालय	:	60-61, शिवाजी पार्क कॉलोनी, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

(127)

गोपालसिंह वर्मा,
पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, राजपुर जिला-बड़वानी

रा.प्र.क्र. /बी-113/2018-19.

फार्म नंबर-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1951 (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास, बड़वानी जिले के समक्ष.

चूंकि “माँ गायत्री गौ शाला ट्रस्ट मोयदा” तहसील राजपुर जिला बड़वानी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की गई आपत्तियों या सुझाव देने का विचार रखता हो तो इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि “माँ गायत्री गौ शाला ट्रस्ट मोयदा” सेवा संस्थान ट्रस्ट एक लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास जिला बड़वानी का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में नियत दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी इसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 01 माह (एक माह) के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

वीरसिंह चौहान,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(128)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीकरण अधिकारी, श्योपुर

प्र.क्र.0003/2018-19/बी-113

श्योपुर, दिनांक 02 फरवरी, 2019

लोक न्यासों के पंजीयक श्योपुर, जिला श्योपुर के समक्ष.

यतः कि आवेदक श्री राधेश्याम जांगिड़ पुत्र श्री रामनिवास जांगिड़, निवासी ग्राम कनापुर (जिला श्योपुर) म.प्र. द्वारा मंदिर मूर्ति श्री बालमुकुंद जी एवं राधाकृष्णजी कनापुर, जिला श्योपुर को मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया गया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 05 मार्च, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

संबंधित सम्पत्ति की अनुसूची

अचल सम्पत्ति:- ग्राम कनापुर की भूमि सर्वे नं. 128 रकवा 5 बीघा एवं मंदिर भूमि मुताबिक नक्शा.

चल सम्पत्ति:- एक बजधारा (पीतल) एक विमान लकड़ी का, दो बक्से (लोहे का), दो झालर (कासे की), एक टंकी पानी की (स्टील), एक परात (पीतल), दो राधाकृष्ण जी का मुकुट (चांदी), नारियल (चांदी का), दो पंखे, मंजीरे जोड़ी (पीतल), आरती (पीतल), माइक एवं लाउड स्पीकर, चरणामृत पात्र (तांबे का), सागर (तांबे का), बंसरी.

(144)

प्र.क्र.0002/2018-19/बी-113

श्योपुर, दिनांक 01 फरवरी, 2019

लोक न्यासों के पंजीयक श्योपुर, जिला श्योपुर के समक्ष.

यतः कि आवेदक श्री बलराम सुमन पुत्र श्री बलराम सुमन, निवासी वार्ड नं. 16, कमालखेड़ी, श्योपुर द्वारा मंदिर मूर्ति श्री संकट मोचन हनुमान जी कमालखेड़ी, श्योपुर को मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया गया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 05 मार्च, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

संबंधित सम्पत्ति की अनुसूची

अचल सम्पत्ति:- वार्ड नं. 16, कमाल खेड़ी, श्योपुर में मुताबिक नक्शा स्थित है.

चल सम्पत्ति:- झालर तीन (पीतल की), घंटी तीन (पीतल की), आरती (पीतल की), चरणामृत पात्र (तांबे की), गरूण घंटी (पीतल की), एक शंख बड़ा, एक शंख छोटा.

(145)

प्रेम सिंह चौहान,

पंजीयक.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

श्रीमती दिव्या जोशी पति प्रयास जोशी, पता-203, पटेल्स ब्लाक बी टुलिप गार्डन स्कीम नं. 140, इन्दौर के द्वारा “द ग्रोविंग इण्डिया फाउण्डेशन” के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम-4 के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 05/- का ऑन-लाईन चालान क्रमांक MPT005528012019000048 दिनांक 28 जनवरी, 2019 प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	द ग्रोविंग इण्डिया फाउण्डेशन.
पता	:	निवासी-203, पटेल्स ब्लाक बी टुलिप गार्डन स्कीम नं. 140, इन्दौर.
चल संपत्ति	:	11000/-
अचल संपत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 04 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(146)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक मोहम्मद अजहर पिता अब्दुल रहीम, पता-9, नन्दनवन कॉलोनी, माणिकबाग रोड, इन्दौर के द्वारा “मख्दुम अशरफ चेरीटेबल ऐजुकेशनल ट्रस्ट” के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम-4 के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 05/- का ऑन-लाईन चालान क्रमांक MPT005502022019000036, दिनांक 02 फरवरी, 2019 प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	मख्दुम अशरफ चेरीटेबल ऐजुकेशनल ट्रस्ट.
पता	:	9, नन्दनवन कॉलोनी, माणिकबाग रोड, इन्दौर.
चल संपत्ति	:	11000/- रुपये.
अचल संपत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 04 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(147)

शाश्वत शर्मा,

पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 29 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/101.—श्री बी. एस. दांगी, सहकारी निरीक्षक को निर्वाचन प्राधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा उनके आदेश क्रमांक 3695, दिनांक 25 अप्रैल, 2018 से मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कागपुर का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. श्री दांगी द्वारा दैनिक समाचार-पत्र हरीभूमि में दिनांक 23 जून, 2018 को मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कागपुर को समस्त सदस्यों को संस्था की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कराने के लिए दिनांक 30 जून, 2018 की बैठक हेतु सूचना प्रकाशित कराई गई. प्रक्रिया प्रारंभ कराने के लिए दिनांक 30 जून, 2018 की बैठक हेतु सूचना प्रकाशित कराई गई. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2018 को कार्यालय में पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि दिनांक 30 जून, 2018 की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचन न कराने एवं संस्था का पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया गया है. पुनः संस्था के सदस्यों द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2018 को बैठक आयोजित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया है. ग्राम कागपुर के 02 व्यक्तियों द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2018 को कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त नहीं करने हेतु आवेदन दिया गया तदुपरांत श्री बी. एस. दांगी, सहकारी निरीक्षक को दिनांक 25 अगस्त, 2018 को आवेदक सदस्यों के आवेदन के निराकरण हेतु लिखा गया. दिनांक 29 जनवरी, 2019 को श्री बी. एस. दांगी द्वारा पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों के द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय अनुसार मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कागपुर को परिसमापन में लाते हुए संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई. इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्था के सदस्य, संस्था का कार्य संचालन नहीं करना चाहते तथा उनकी संस्था में संचालक मण्डल सदस्यों के निर्वाचन कराने हेतु पर्याप्त पूंजी का अभाव है एवं संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि अनुसार चलने योग्य नहीं रह गई है, तथा इस कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्था, जिला विदिशा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कागपुर पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी. एस्./717, दिनांक 03 जुलाई, 2006 को परिसमापन लिये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को धारा-70(1) के अंतर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(129)

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/125.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/660, दिनांक 14 मार्च, 2018 के द्वारा अनु. जाति एवं जनजाति सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1884 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री रघुनाथ कुदोलिया सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी.पी.प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनु. जाति एवं जनजाति सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1884 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(130)

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/126.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/707, दिनांक 21 मार्च, 2018 के द्वारा महाकौशल खनिज उद्योग सहकारी समिति मर्या., घुघरी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1696 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री रघुनाथ कुदोलिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी.पी.प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाकौशल खनिज उद्योग सहकारी समिति मर्या., घुघरी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1696 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(131)

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/127.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/708, दिनांक 21 मार्च, 2018 के द्वारा नर्मदा विकास खनिज उत्खनन कामगार सहकारी समिति मर्या., सिहोरा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1689 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री रघुनाथ कुदोलिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी.पी.प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नर्मदा विकास खनिज उत्खनन कामगार सहकारी समिति मर्या., सिहोरा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1689 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(132)

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/128.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/691, दिनांक 20 मार्च, 2018 के द्वारा न्यू महावीर कृषि उत्थान सहकारी समिति मर्या., निवाडगंज जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1935 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री रघुनाथ कुदोलिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी.पी.प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू महावीर कृषि उत्थान सहकारी समिति मर्या., निवाड़गंज जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1935 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(133)

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/129.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/692, दिनांक 20 मार्च, 2018 के द्वारा आदिवासी लघु कृषक उद्वहन सहकारी समिति मर्या., पिटकुटी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 94 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री रघुनाथ कुदोलिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी.पी.प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी लघु कृषक उद्वहन सहकारी समिति मर्या., पिटकुटी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 94 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(134)

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/130.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/1774, दिनांक 25 जुलाई, 2016 के द्वारा दुर्गेश नंदिनी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1584 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्रीमती इंद्रा ताम्रकार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी.पी.प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्गेश नंदिनी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1584 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी.पी.प्रजापति,
सहायक पंजीयक.

(135)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

क्र./परि/2017/1480.—जयभारत प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रायसेन, तहसील व जिला रायसेन का पंजीयन क्र. आर. एस. एन./610, दिनांक 19 फरवरी, 1997 है. कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1203, रायसेन दिनांक 29 अगस्त, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु संस्था के परिसमापक को आवेदन प्रस्तुत करने के फलस्वरूप परिसमापक द्वारा नियमानुसार विशेष आमसभा के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित कर संस्था के परिसमापक की अनुशांसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है. संस्था के प्रतिवेदन, संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण इस कार्यालय वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ए. के. रावत से कराया गया.

अतः पारित प्रस्ताव/ ठहराव एवं परिसमापक की अनुशांसा पर विचार कर सदस्यों की रुचि एवं आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुये मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र./एफ-5-1-99 पंद्रह-1सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, जयभारत प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., रायसेन, तहसील व जिला रायसेन का पंजीयन क्र. आर. एस. एन./610, दिनांक 19 फरवरी, 1997 को पुनर्जीवित करता हूँ. संस्था के संचालन हेतु संचालक मण्डल तीन माह के लिये नामांकित करता हूँ जो निम्नलिखित है. संस्था तीन माह के अन्दर संचालक मण्डल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों का निर्वाचन अनिवार्यतः संपन्न करावे.

क्र.	नाम	पद
1.	श्रीमति सलमा सिद्धिकी	अध्यक्ष
2.	श्रीमति लतावाई	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति रूखशाना	उपाध्यक्ष
4.	श्रीमति मुन्नी वंशकार	संचालक
5.	श्रीमति साफिया सुल्तान	संचालक
6.	श्रीमति सवित्री वाई	संचालक
7.	श्रीमति प्यारी बाई	संचालक
8.	श्रीमति शमा बेगम	संचालक
9.	श्री अर्जुन लौहार	संचालक
10.	श्रीमति प्रेमवाई	संचालक
11.	श्रीमति नसीम वानों	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक.

(136)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काहिरी जारीद, तह. सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./परि/क्यू/19.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि/2019/1038, दिनांक 13 अगस्त, 2018 द्वारा निम्न सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काहिरी जारीद, तहसील सीहोर.	1358/03-02-2007	1038/13-08-18

अतः मैं, डी. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक,सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्था का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्या/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(137)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चादंवड जागीर, सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./परि/क्यू/19.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि/2018/943, दिनांक 23 जुलाई, 2018 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चादंवड जागीर, तहसील सीहोर.	1289/27-01-2004	943/23-07-18
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वनखेड़ा तहसील आष्टा.	1791/09-08-2014	943/23-07-18
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवनखेडी, तहसील आष्टा.	1816/16-02-2015	943/23-07-18

अतः मैं, डी. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक,सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी, सदस्या/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(139)

कार्यालय परिसमापक सिन्धु गृह निर्माण सहकारी संस्था, सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./परि/क्यू/19.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि/2018/943, दिनांक 23 जुलाई, 2018 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	सिन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सीहोर	180/13-03-1961	943/23-07-2018
2.	प्राथ. बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धामनखेडा	1379/07-07-2007	943/23-07-2018
3.	शक्ति सिलाई महिला सहकारी समिति मर्या., सीहोर	1418/12-02-2009	943/23-07-2018

अतः मैं, डी. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी, सदस्या/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(140)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुशामदा, तह. श्यामपुर, जिला सीहोर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

क्र./परि/क्यु/19.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि/2018/1036, दिनांक 13 अगस्त, 2018 द्वारा निम्न सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापक में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुशामदा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर.	1415/02-01-2009	1036/13-08-18

अतः मैं, डी. सी. जैन, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्था का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्या/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(138)

डी. सी. जैन,
सहकारी निरीक्षक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2019-फाल्गुन 3 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा. राज्य के निर्मांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. —

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:— तहसील अम्बाह, पोरसा (मुरैना), अटेर (भिण्ड), गुना (गुना), जतारा, टीकमगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), अजयगढ़, गुन्नौर, पवई (पन्ना), बीना, सागर, रहली, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), बटियागढ़, दमोह (दमोह), रघुराजनगर, नागौद, मैहर (सतना), ल्योंथर, मऊगंज, गुढ, मनगवां, जवा, रामपुरकुर्च. (रीवा), सोहागपुर, बुढार (शहडोल), कोतमा (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), कुसमी, बहरी (सीधी), सिंगरौली (सिंगरौली), मनासा (नीमच), रतलाम (रतलाम), खाचरौद, महिदपुर, बड़नगर (उज्जैन), हाटपिपल्या (देवास), पेटलावद (झाबुआ), बदनावर, गंधवानी, डही (धार), इन्दौर, मऊ. अ. ब (इन्दौर), बड़वाह, महेश्वर, कसरावद (खरगौर), पाटी, बरला (बड़वानी), पंधाना, हरसूद (खण्डवा), कुरवाई, विदिशा, गुलाबगंज, ग्यारसपुर (विदिशा), हुजूर (भोपाल), आष्टा (सीहोर), पंचमढी, वनखेड़ी (होशंगाबाद), बहोरीबंद, धीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, विजयराघोगढ़, बरही (कटनी), नैनपुर (मण्डला), डिण्डोरी, साहपुरा (डिण्डोरी), कुरई (सिवनी) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:— तहसील गढ़ाकोटा (सागर), शाहनगर (पन्ना), हटा, पथरिया, पटेरा (दमोह), जावरा, पिपलोदा (रतलाम), सरदारपुर, मनार (धार), बड़वानी (बड़वानी), मुडवारा (कटनी), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक:— तहसील खुरई, बण्डा (सागर), सैलाना (रतलाम), धार (धार) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) 53.2 मि.मी. से 244.9 मि.मी. तक:— तहसील कुक्षी (धार) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई** :- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, सीधी, सिंगरौली, मण्डला, डिण्डोरी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **बोनी**:- जिला मुरैना, सिंगरौली, मण्डला, डिण्डोरी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **फसल स्थिति** :- वर्षा की कमी से जिला सागर में सोयाबीन, उड़द, तुअर एवं अन्य फसलों में अनुमानित 30% क्षति का होना प्रतिवेदित किया गया है.
..
5. **कटाई** :- जिला शाजापुर, धार, होशंगाबाद में खरीफ फसलों का कटाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.
6. **सिंचाई** :-जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, नीमच, खरगौन, बडवानी, बुरहानपुर, विदिशा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **पशुओं की स्थिति**:- ..
8. **चारा** :- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **बीज**:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	02.0				
2. पोरसा	10.0				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मसूर, सोयाबीन उड़द, मूँग, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . . 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	12.0				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. रौन+मिहोना	. .				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . . 4. (1) धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. चीनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, उड़द, तिल, धान, समान. मूँग, मूँगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) मूँगफली, सोयाबीन समान. उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, सोयाबीन अधिक. मक्का, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .				
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	0.3		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .				
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) उड़द, मूँग, ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन, मूँगफली, तुअर, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .				
3. जतारा	14.0				
4. टीकमगढ़	12.0				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	02.0				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .				
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
5. बिजावर	. .				
6. बड़ा मलहरा	. .				
9. महाराजपुर	. .				
10. चंदला	. .				
11. धुवारा	. .				
12. लवकुशनगर	. .				
12. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	5.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	7.0				
4. पवई	10.0				
5. शाहनगर	. .				
6. देवेन्द्रनगर	. .				
7. अमानगंज	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. रैपुरा	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. वर्षा की कमी से	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	5.2	सोयाबीन, उड़द, तुअर एवं	4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	45.2	फसलों में अनु. 30%	अधिक. ज्वार, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	35.0	क्षति होना प्रतिवेदित किया	कोंदो, तुअर, मूँग, मूँगफली,		
4. सागर	12.4	गया है.	आलू, प्याज कम.		
5. रेहली	4.0		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी		
6. देवरी	. .		हुई हैं.		
7. गढ़ाकोटा	19.2				
8. राहतगढ़	. .				
9. कंसली	. .				
9. मालथोन	5.0				
10. शाहगढ़	14.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	29.0		4.(1) सोयाबीन, मूँग, मक्का, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	15.0		अधिक. उड़द, धान, तुअर,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	12.0		कम.		
4. पथरिया	24.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	33.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	0.4		4. (1) तिल, मूँग, तुअर, ज्वार,	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		समान. धान, उड़द, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		कोंदो-कुटकी कम.		
4. नागौद	3.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	3.0				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	2.0		4. (1) धान, सोयाबीन, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		उड़द, ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	11.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	1.2				
7. मनगवां	17.0				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	11.2				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकचुल्लियान	5.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	4.0		4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, तिल, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. जयसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	5.0				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, कोंदो-कूटकी, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		सोयाबीन समान.		
3. कोतमा	7.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	9.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	1.2		(2) . .		
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	7.0				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	6.0				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई बोनी चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर अधिक. मक्का, ज्वार, कोंदो धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		रामतिल कम.		
3. सरई	. .		(2) तुअर, धान, सुधरी.		
4. माडा	. .		शेष फसलें समान.		
5. सिंगरौली	3.0				
21.*जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर+दलोदा	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधडक्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4.(1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक. मक्का, उड़द, तुअर मूँग तिल, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. सिंगौली	..					
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	7.0					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	25.0			4.(1) सोयाबीन समान. मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. सैलाना	40.0					
4. बाजना	..					
5. ताल	..					
6. रावटी	..					
7. पिपलोदा	27.0					
8. रतलाम	2.6					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	9.0			4. (1) सोयाबीन, उड़द अधिक. मक्का, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	8.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	..					
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	..					
6. बड़नगर	1.0					
7. नागदा	..					
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सुसनेर	..			(2) ..		
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	खरीफ फसल कटाई कार्य चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..			4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	..					
4. कालापीपल	..					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतोपुर बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	..					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, मूँग अधिक. ज्वार, सोयाबीन, कपास, तिल, मूँगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			(2) उपरोक्त फसलें ठीक हैं.		
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. हाटपिपल्या	5.0					
7. सतवास	..					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, सोयाबीन, तुअर अधिक. कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. पेटलावद	3.4				
4. रामा	. .				
5. झाबुआ	. .				
6. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, उड़द, ज्वार, कपास अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. उदयगढ़	. .				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	3.1		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का, कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	20.0		(2) . .		
3. धार	45.6				
4. कुक्षी	60.0				
5. मनावर	32.0				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	12.0				
8. डही	16.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	0.40				
4. हातोद	. .				
5. महू	3.0				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	4.0		4. (1) धान, मक्का, मूँगफली, कपास, तुअर अधिक, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	1.2		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	2.0				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	25.8		4. (1) कपास, मक्का, सोयाबीन, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	8.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	7.0				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त
1. खण्डवा	..			4. (1) सोयाबीन, धान, कपास, मक्का, मूँगफली, ज्वार, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त	
2. पुनासा	..			(2) ..			
3. खालवा	..						
4. पंधाना	4.0						
5. हरसूद	13.0.						
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..			4. (1) कपास, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
2. खकनार	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.			
3. नेपानगर	..						
36.*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. राजगढ़	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..	
2. जीरापुर	..			(2) ..			
3. खिलचीपुर	..						
4. ब्यावरा	..						
5. सारंगपुर	..						
6. पचोर	..						
7. नरसिंहगढ़	..						
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..			4. (1) सोयाबीन, धान, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
2. सिरोंज	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.			
3. कुरवाई	17.0						
4. बासोदा	..						
5. नटेरन	..						
6. विदिशा	2.0						
7. गुलाबगंज	9.0						
8. समसाबाद	..						
9. त्योंदा	..						
10. पठारी	..						
11. ग्यारसपुर	1.0						
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..			4. (1) मूँग, उड़द, ज्वार, मक्का, समान. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
2. हुजूर	0.3			(2) उपरोक्त फसलें समान.			
3. बैरागढ़	..						
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..			4. (1) मक्का, उड़द अधिक. गन्ना, धान समान. सोयाबीन, ज्वार, मूँग, मोठ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
2. आष्टा	5.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.			
3. इच्छावर	..						
4. नसरूल्लागंज	..						
5. रेहटी	..						
6. श्यामपुर	..						
7. जावर	..						
8. बुधनी	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. *जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
41.*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बैतूल	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. भैंसदेही	..		(2) ..		
3. घोड़ाडोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिचोली	..				
6. मुल्ताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42.जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	..		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	..		तुअर, उड़द, मूँग, गन्ना कम.		
3. बावई	..		(2) उड़द, बिगड़ी हुई.		
4. इटारसी	..		शेष फसलें समान.		
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	1.2				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढी	6.0				
43. *जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हंडिया	..				
6. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	..		4. (1) धान, मक्का, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	..		तुअर, सोयाबीन, मूँग कम.		
3. सीहोरा	..		(2) मक्का, सुधरी हुई.		
4. पाटन	..		शेष फसलें समान.		
5. मझौली	..				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	5.5		4. (1) मक्का, तिल, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	2.0		धान कम.		
3. रीठी	5.0		(2) धान, मक्का समान.		
4. बड़वारा	5.0		तिल, तुअर सुधरी हुई.		
5. मुड़वारा (कटनी)	18.4				
6. विजयराघवगढ़	3.5				
7. बरही	15.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	3. ..	5. ..	7. ..
1. नरसिंहपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गोटेगांव	..		(2) ..		
3. करेली	..				
4. गाडरवारा	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2 जुताई, बोनी चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	3.5		4. (1) मक्का, धान, तिल, तुअर, उड़द, कोंदो-कुटकी,समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. बिछिया	..				
4. निवास	..				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	1.0		4. (1) धान, मक्का, उड़द, सोयाबीन, रामतिल, तुअर, कोंदो-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	3.8		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. बजाग	..				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) मक्का, धान अधिक. मूँगफली समान. सायाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. तामिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	..				
4. जामई	..				
5. सोंसर	..				
6. बिछुआ	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. उमरेठ	..				
10. मोहखेड	..				
11. हरई	..				
12. चांद	..				
13. पांडुर्णा	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	..		(2) ..		
3. कुरई	5.0				
4. कवलारी	..				
5. लखनादोन	..				
6. छपारा	..				
7. धनोरा	..				
8. घंसोर	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	21.2		(2) धान समान.		
3. किरनापुर	..				
4. बैहर	..				
5. वारासिवनी	..				
6. कटंगी	..				
7. लालबर्वा	..				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. बिरसा	..				
11. खैरलाँजी	..				

*जिला:- जिला मन्दासौर, आगर, रायसेन, बैतूल, हरदा व नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.